न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/12/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/66

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री नानूराम शर्मा
C/O एडवोकेट गोवर्धनसिंह एसोसियेट,
बी/बी–2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ,
सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 23.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.04.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 06.01.2022 के माध्यम से अति० पुलिस अधीक्षक (परि.) कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः भ्रनिब्यू./परि./2021/15922–23 दिनांकः 20.12.2021 के क्रम में प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 01 लगायत 12 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय–पत्र सं. 267 दिनांकः 03.02.22 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 563 दिनांकः 03.03.22 के माध्यम से, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों व प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर/मनन किए जाने पर पाया गया कि प्रश्नगत RTI आवेदन दिनांकः 06.01.2022 एवं प्रथम अपील दिनांकः 14.02.2022 में वांछित सूचना संबंधी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर का पत्रांकः 15922–23 दिनांकः 20.12.2021 प्रत्यर्थी कार्यालय को अप्राप्त रहने के कारण पत्र सं. 563 दिनांकः 03.03.22 के माध्यम से विधिक विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। वांछित सूचना संबंधी पत्र प्राप्ति के अभाव में अदेय है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 12.04.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर